

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-312/13**  
**संस्थापित दिनांक-06.09.2013**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-<br>आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।<br>.....अभियोजन   |                                  |
| <b>विरुद्ध</b>   |                                  |
| 1- राजेश पुत्र कल्लू कुशवाह उम्र 26 साल<br>2- सुखराम पुत्र कल्याण सिंह उम्र 48 साल<br>3- सुरजीत पुत्र गोरेलाल उम्र 26 साल<br>निवासीगण- ग्राम मुढराकला तहसील पिपरई<br>जिला-अशोकनगर म0प्र0<br>.....आरोपीगण |                                  |
| राज्य द्वारा   | :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |
| आरोपीगण द्वारा   | :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।   |

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 24.01.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34, 323, 323/34, 427 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 19.08.13 को शाम करीब 6 बजे फरियादी सूरत उर्फ सूरज सिंह के घर के सामने ग्राम मुढराकला थाना पिपरई में फरियादी सूरत को लोकस्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सूरत को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सूरत की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी राजेश ने फरियादी को चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत सोनू की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सूरत की 3 पहिया साइकिल के बांये तरफ का पहिया तोड़कर रिष्टी कारित की तथा फरियादी सूरत को जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के

मध्य दिनांक 20.01.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण राजेश, सुखराम, सुरजीत को भा.द.वि की धारा 341, 323, 323/34, 427, 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी सुरत सिंह उर्फ सूरज सिंह ने शेरसिंह, सोनू के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 19.08.2013 को शाम करीब 6 बजे की बात है वह अपनी दुकान पर बैठा था तभी आरोपी राजेश कुशवाह उसके पास आया और बोला उसे विन्डल माचिस उधार दे दो, जब उसने विन्डल माचिस उधार देने से मना कर दिया तभी राजेश उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा, जब वह दुकान से बाहर आकर गाली देने से मना किया तो आरोपी राजेश ने चाकू मारा दांये हाथ के अंगूठे में उपर लगा खून निकल आया तभी वह दुकान तरफ जाने लगा तो नरेश, सुखराम सुरजीत आये और उसका रास्ता रोक लिया, नरेश ने लाठी मारी जो उसके बांये हाथ के बखरा में लगी खून निकल आया, बचाने नंदराम आया तो सुकराम ने लाठी मारी कंधे में लगी सोनू बचाने आया तो उसे सुरजीत ने लाठी मारी उसके बांये हाथ बाजू में पीठ में चोट आई फिर शेरसिंह आया तो नरेश ने पीठ में लात दी तथा फरियादी की 3 पहिये की साईकिल का बांये तरफ का पहिया तोड़ कर नुकसान कर दिया। मौके पर सुरेश, अनन्त सिंह आ गये थे जिन्होंने घटना देखी है। राजेश कह रहा था कि अगर रिपोर्ट करने थाने पर गये तो जान से खत्म कर दुंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना पिपरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05—** राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.08.2013 को शाम करीब 6 बजे फरियादी सूरत उर्फ सूरज सिंह के घर के सामने ग्राम मूढराकला थाना पिपरई में फरियादी सूरत को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी राजेश ने फरियादी को चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

**06—** अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी सूरत सिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 2-3 साल पहले की होकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे की है। उसकी छोटी सी किराने की दुकान है। घटना दिनांक को राजेश ने उससे उधार बिन्दल माचिस मांगे थे उसने उधार बिन्दल माचिस देने से मना कर दिया इसी बात को लेकर राजेश से उसकी गाली गलौच हो गई थी। उसने गाली देने से मना किया तो वहां पर नरेश, सुखराम और सुरजीत भी आ गये, तथा उसे बचाने नन्दराम और सोनू आए तो उनके साथ भी गाली गलौच हो गई थी और धक्का मुक्की में उसे नन्दराम तथा सोनू को गिरने से चोटे आ गई थी। घटना के संबंध में थाना पिपरई में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी तथा सोनू, नन्दराम, शेरसिंह की चोटों का परीक्षण कराया था तथा झगड़े में उसकी 3 पहिया साईकिल टूट गई थी जिसके संबंध में पुलिस द्वारा नुकसानी पंचनामा भी बनाया गया था जो प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा अन्य साक्षीगण के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा सूरत सिंह अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि राजेश ने उसे चाकु से मारा था जो उसके दाएं हाथ के अंगुठे में लगकर खून निकल आया था तथा इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने नन्दराम एवं सोनू की भी मारपीट की थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग “तात्विक भाग” पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता।

**08—** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी शेरसिंह अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03, एवं नन्दराम अ0सा0 4 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उक्त साक्षीगण ने घटना के संबंध अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया तथा साक्षी शेरसिंह अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03, एवं नन्दराम अ0सा0 4 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 5, 6, एवं प्र.पी. 7 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते। इस प्रकार

अभियोजन साक्षी शेरसिंह अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03, एवं नन्दराम अ0सा0 4 के कथनो से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**09—** सूरत सिंह उर्फ सूरज सिंह अ0सा01, शेरसिंह अ0सा02, सोनू अ0सा03, नन्दराम अ0सा04 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत है ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उनकी कहा सुनी एवं बाद विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना पिपरई में की थी तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी राजेश ने फरियादी सूरत सिंह को चाकु से मारा था।

**10—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.08.2013 को शाम करीब 6 बजे फरियादी सूरत उर्फ सूरज सिंह के घर के सामने ग्राम मूढराकला थाना पिपरई में फरियादी सूरत को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी राजेश ने फरियादी को चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः **अभियुक्तगण राजेश, सुरजीत, सुखराम निवासी मुदडाकला थाना पिपरई जिला-अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**11—** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

**12—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0